P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला एवं मानवाधिकार

इन्द्राज मल यादव
व्याख्याता
राजनीति विज्ञान
एस.एन.के.पी.राजकीय
महाविद्यालय,
नीमकाथाना, राजस्थान, भारत

सारांश

सृष्टि के सृजन एवं मानवीय सभ्यता के विकास में पुरूष एवं महिला दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनो एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी रहे हैं। समाजीकरण व संस्कारगत व्यवहार व मूल्यों ने स्त्री–पुरूष के मध्य विभेदीकरण की एक लकीर खींच दी। नारी निर्माण की इस प्रक्रिया ने महिलाओं को द्वितीय दर्जा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर में स्त्री पुरूष समानता का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान में महिला पुरूष को समानाधिकार दिया गया। संवैधानिक अधिकारों के साथ भारत के संविधान में महिलाधिकारों के लिए कतिपय कानूनी अधिकारों की व्यवस्था की गयी। महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दीर्घकालीन सरकारी नीतियों एवं गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग अपेक्षित हैं।

मुख्य शब्द : नारीवादी, घरेलु हिंसा, मानवाधिकार, अधिनियम, महिमा मंडन, सिनेमेटोग्राफी, प्रतिनिधित्व, प्रीवेन्शन, मर्यादा।

प्रस्तावना

पुरूष और महिला परिवार के दो आधार स्तम्भ होते हैं। एक आदर्ष समाज की रचना तभी हो सकती है जब पुरूष व नारी परस्पर समन्वय से आगे बढें। परिवार में सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व नारी के कंधो पर ही आता है। परिवार के लिए नारी शक्ति का स्वरूप होती है। घर–परिवार का वातावरण उसी के आचरण पर निर्भर करता है। वह जन्मदात्री एवं पोषक होती है। प्रेम, दया, ममता, त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, महिला सदैव पुरूष के जीवन में उत्साह व हर्ष का सेतु होती है। नारी के अभाव में मानव जीवन नीरस एवं अर्थहीन हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि –

'वाक्य अधूरा ही रहता है, जब तक क्रिया नहीं होती,
पुरूष 'परष' ही रहता है, जब तक प्रिया नहीं होती।

लेकिन विडम्बना है कि अहमं, अहंकार, ईष्या, क्रोध इत्यादि ने महिला व पुरूष के इस पवित्र संबंध को प्रभावित किया है। पुरूष का व्यवहार नारी के प्रति अमानवीय बनता जा रहा है। पुरूष के जीवन के सुन्दर समतल में पियुष स्त्रोत सी बहने वाली नारी आज छली जा रही है, पुरूष आत्मीयता का छलावा कर नारी के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है।

शोध के उद्देश्य

1. महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलु हिंसा के कारणों का पता लगाना।
2. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न ।
3. महिलाओं को आपराधिक कानून अधिनियम के प्रति जागरूक करना।
4. महिला मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का पता लगाना।

यद्यपि प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने स्त्रियों के लिए आश्रम व्यवस्था की खोज की, जहां स्त्री व पुरूष को समानता की दृष्टि से देखा जाता था। जहां स्त्री ही घर गृहस्थी की पूर्ण देखभाल करती थी जबकि पुरूष निश्चिंत होकर जीविकोपार्जन करता था एवं संपति बढ़ाता था। इस प्रकार प्राचीन काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, लेकिन मध्यकाल के आते–आते महिला को सबला से अबला बना दिया गया।

किंतु अब समाज में पुनः चेतना का संचार हो रहा है। नारी ने भी अपने अस्तित्व के अर्थ को समझा है। इस संदर्भ में नारीवादियों द्वारा महिलाधिकारों व मानवाधिकार का पुरजोर समर्थन किया है ताकि वंचित व पीड़ित आधी आबादी को अपने अधिकार प्राप्त हो सकें।

मानवाधिकार वे अधिकार जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हैं चाहे वह किसी भी देश, धर्म, क्षेत्र या लिंग का हो। यद्यपि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इस दिशा

में प्रयास कर रहे हैं फिर भी विश्व में किसी न किसी रूप में मानवाधिकारों का हनन होता है, हर कमजोर वर्ग कभी न कभी इसकी चपेट में आता है। महिलाएँ, विशेष रूप से भारतीय महिलायें एक ऐसा समूह है जो इस अत्याचार से अत्यधिक रूबरू होती हैं।

यह त्रासदी बालिका के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, उसे भ्रूण हत्या जैसी स्थितियों का सामना करना होता है। यदि बालिका भ्रूण के रूप में वह जन्म ले भी लेती है तो उसको संघर्ष के एक लंबे दौर से गुजरना होता है। समाज में पुत्र–चाह की परम्परावादी सोच रही है। सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियों के चलते बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। दुनियाभर के उच्च शिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं की संख्या नाममात्र की होती है। महिलायें सामाजिक जीवन में प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाती है, जिसके कारण उनमें सामाजिक अलगाव के लक्षण पनपने लगते हैं।

नारी को बेटी के रूप में, बहु के रूप में, पत्नी के रूप में विभिन्न अत्याचारों एवं प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। मानव आबादी का आधा हिस्सा होने के बावजूद भी नारी को उपेक्षा व भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पुरूषवादी समाज में उसे तिरस्कार सहना पड़ता है। विष्व में प्रत्येक देष में कमोबेष नारी की यही स्थिति है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 10वीं वार्षिक रिपॉर्ट में लिंग भेद को विश्व का सबसे बड़ा भेदभाव बताया गया। विश्व के अधिकतर देशों में महिलाओं को स्व–विवेक से निर्णय का अधिकार नहीं है। अज्ञानता, सामाजिक प्रतिबन्ध, धार्मिक प्रतिबन्ध इसके कारण है, आज दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों यथा बांग्लादेश व नेपाल में तो महिलाओं की स्थिति ज्यादा दयनीय है। बालिकाओं का अपहरण तथा देह–पोषण की घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बालिकाओं की तश्करी एक बड़ा कारोबार बन चुका है, बाल वेश्यावृति जैसे अमानवीय कृत्यों में लगातार इजाफा हो रहा है। यद्यपि महिलाओं के प्रति भेदभाव के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक बताये जाते हैं, लेकिन इस भेदभाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज में महिला एवं पुरूष की भूमिकाओं में एक अनुचित विभाजन कर दिया गया। इन परिस्थितियों में नारी को धन सम्पति के रूप में तथा भोग–विलास एवं उत्पादन के एक साधन के रूप में देखा जाता है। विडम्बना की बात है कि स्वयं नारी ने भी इन लिंग आधारित भेदभावों को चाहे अनचाहे जीवन के एक अपरिहार्य रूप में स्वीकार कर लिया है।

बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जैसे–जैसे महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए नवीन कानून बनाये जा रहे हैं, अनेक सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। वैसे–वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।[6] महिला उत्पीड़न की घटनायें तेजी से बढ़ रही हैं। सरकारी तंत्र भी महिला अधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रयास कर रहा है, परन्तु उसकी एक सक्रियता भी निष्प्रभावी होती जा रही है।

समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है, लेकिन सामाजिक कुरीतियां आज भी मुंह बाये खड़ी हैं। पीड़ित महिला को न्याय मिलना दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। पीड़ित महिला अन्याय, अत्याचार या अपराध का प्रतिकार करने के लिए खड़ी होती है तो सबसे पहले परिवार द्वारा ही उसे हतोत्साहित कर दिया जाता है। पीड़ित महिलाओं के प्रति पुलिस का रवैया भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है। घरेलू हिंसा, छेड़खानी, बलात्कार, मानसिक, शारीरिक यातनायें केवल नारी ही सहती है। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में अपराधियों को सजा या तो हो ही नहीं पाती है या फिर न्याय मिलते–मिलते इतनी देर हो चुकी होती है कि उसकी प्रासंगिकता ही नहीं रह पाती है। दूर–दराज के इलाकों यथा–ढाणियों, गांवों, कस्बों में कितनी ही महिलायें जुल्म के साये में ही अपना दम तोड़ देती है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाते है कि महिला उत्पीडन का ग्राफ उतरोतर बढ़ता जा रहा है।

20 वीं शताब्दी में मानवाधिकारों का प्रसार हुआ। 10 दिसम्बर 1948 को महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के जन्म दिवस पर मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस मानवाधिकार घोषणा पत्र में लिंग सम्बन्धी मानदण्ड को भी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया।

महिला उत्पीड़न पर अंकुष लगाने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये। 1974 में महिलाओं की स्थिति से सम्बन्ध आयोग ने अपनी रिपॉर्ट में महिलाओं के साथ भेदभाव के संदर्भ में कहा कि 'लिंग आधार पर विशिष्टता प्रदान करना, वंचित करना, प्रतिबन्ध लगाना जिसका प्रभाव मानव अधिकारों को नकारने या उसका उपयोग करने से रोकने में हो तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में मूलभूत स्वतंत्रताओं के हनन के रूप में हो।

यहां यह भी प्रश्न उठता है कि महिलाओं के मानवाधिकार क्या हैं ? इस प्रश्न का उत्तर हम इस रूप में दे सकते है कि वे अधिकार जिनसे महिलाओं को वंचित किया जाता है। मूल रूप से यह वंचन लिंगभेद के कारण होता है। लिंग के आधार पर पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को उन पर होने वाले अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध

एक नागरिक के रूप में सुनवायी का प्रावधान है। जिसमें स्त्री स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का विचार दिया गया है।

महिला उत्पीड़न को रोकने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। ये संगठन महिला उत्पीड़न को रोककर महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। इसके अलावा विश्व महिला सम्मेलनों का आयोजन भी समय–समय पर होता रहा है। 1995 के पेइचिंग सम्मेलन में महिलाओं पर प्रभाव, जनसंख्या नीति,

यौन, दासता एवं घरेलू हिंसा जैसे अहम् मुद्दों पर विचार विर्मष हुआ।

भारत में महिलाधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए निम्न तरह के प्रावधान रखे गये हैं –

1. अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत पुरूष और महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं।
2. अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है कि यह महिलाओं पर अत्याचार न होने दें।
3. अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत पुरुषों एवं महिलाओं को बिना भेदभाव के सार्वजनिक नियुक्तियों तथा रोजगार के संबंध में समान अवसर का अधिकार हैं।
4. अनुच्छेद–23 के अनुसार नारी का देह व्यापार से उसकी रक्षा की जाये। इस दृष्टि से संप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट 1956 पारित किया गया।
5. अनुच्छेद 39 में पुरूष एवं स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हैं।
6. अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबन्ध।
7. अनुच्छेद–51 इसके अन्तर्गत उन सभी बातों का परित्याग करना जो नारी सम्मान के विरूद्ध हैं।
8. अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं।

महिलाओं के लिए नियम एवं अधिनियम

भारतीय संविधान एवं विभिन्न दंड संहिताओं में भी कई ऐसे नियम, विनिमय एवं अधिनियम आदि बनाएं गए हैं जिनकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सकती हैं। इसके अलावा अंग्रेजों के शासनकाल में भी कुछ महिलाओं से संबंधित अधिनियम बनाये गए जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिले हैं। जैसे– सती प्रथा उल्मूलन अधिनियम, विधवा पुर्नविवाह, सिविल मैरिज अधिनियम, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम आदि। महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं–

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 : इसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद्ध सजा देने की व्यापक रूप से व्यवस्था की गयी है।
2. दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961 :1961 में तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दहेज को एक समस्या एवं मानव मात्र पर कलंक एवं कुप्रथा मानते हुए इस कानून को पारित करवाया था। इसके माध्यम से दहेज जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई।
3. हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 : यह अधिनियम निर्देशित करता है कि एक लड़की को भी अपने माता–पिता की सम्पति में लड़के की भांति अधिकार प्राप्त है। जहाँ तक पिता की सम्पत्ति का सवाल है, लड़का एवं लड़की दोनों ही बराबर के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त सम्पति के सम्बन्ध में आज भी महिला की स्थिति पुरूष जैसी नहीं हैं।
4. मुसलमान उत्तराधिकार संबंधी विधिः इनमें कुरान सरीफ की आयातों के अनुसार सदा से चला आ रहा हैं एवं महिलाओं के संदर्भ में कानून थोड़ा कठोर है हालांकि इस कानून में स्वयं अर्जित एवं पैतृक सम्पत्ति में कोई भेदभाव नहीं हैं।
5. दण्ड प्रक्रिया 1973 : इस प्रक्रिया में किसी भी महिला की तलाशी या अन्य संबंधित जांच के लिए महिला या महिला पुलिस के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
6. हिन्दु विवाह अधिनियम 1956 : इस अधिनियम में पति–पत्नी के वैवाहिक जीवन जैसे शादी, ब्याह, तलाक एवं सजा आदि के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया हैं।
7. मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम 1939 : इस अधिनियम से पूर्व मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अति दयनीय थी लेकिन इस अधिनियम के बनने के बाद पत्नी को भी तलाक देने के कुछ अधिकार प्रदान कराये गये।
8. हिन्दु अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम, 1956 : पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की स्थिति में अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अगर पति–पत्नी अलग रहते है तो नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ता हैं, इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति उन बच्चों की हो जाती है, जिनके माता–पिता अलग रहते हो, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा इस बात का रहता है कि अवयस्क बच्चे किसके पास रहें।
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1982: साक्ष्य का आसाधारण अधिनियम यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके द्वारा आक्षेप लगाया गया हो और ऐसी ही स्थिति में महिलाओं पर होने वाला अत्याचारों के मामलों में भी थी।
10. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929: 21वीं सदी में भी भारत के कुछ ग्रामीण एवं कुछ शहरी इलाकों में छोटे–छोटे बच्चों को मंडप में बिठाकर उनकी शादी रचाई जा रही हैं, इस अधिनियम में शादी की आयु का निर्धारण एवं नियम का उल्लघन करने पर सजा, जुर्माना आदि का प्रावधान किया गया है।
11. सती निवारक अधिनियम, 1987 व राजस्थान सती निवारक अधिनियम, 1987: इस अधिनियम द्वारा सती प्रथा एवं उसको महिमामण्डित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाये गये।
12. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 : संशोधित 1978 व 1986 : इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन–शोषण करने को संज्ञेय अपराध माना गया हैं।

13. ''संप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमेन एण्ड गर्ल एक्ट'' 1950 संशोधित 1978 व द इम्मोरल ट्रैफिक प्रीवेन्शन एक्ट अधिनियम 1986: अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 से मिलता जुलता है।
14. गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम, 1971 : प्रारम्भ में हमारे देश में गर्भपात करना एवं करवाना दोनों ही भारतीय दंड सहिता–1860 के अनुच्छेद 312–316 के अनुसार अपराध थे। यह अधिनियम महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया गया हैं।
15. चलचित्र अधिनियम, 1952: फिल्मों का समाज में गहरा असर पड़ता हैं इसलिए सेन्सर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिससे महिलाओं को अश्लील रूप में दिखाया गया हो तथा महिलाओं की मर्यादा भंग हो।
16. स्त्री अशिष्ट प्रतिबंध अधिनियम, 1986: इस अधिनियम के माध्यम से स्त्री के शरीर के अश्लील चित्रण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता हैं जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंचे या उसका मान घटे। इससे संबंधित छेड़खानी निरोधक कानून, 1978 सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 इंसिडेन्ट रिप्रेजेन्टेशन ऑफ वूमेन प्रोहीविशन एक्ट, 1986 आदि हैं।
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954: इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वैवाहिक स्वतंत्रता के साथ–साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किये वगैर किसी अन्य धर्म मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं।
18. कारखाना अधिनियम, 1948, संशोधन–1976: इस अधिनियम में कहा गया हैं कि यदि किसी कारखाने या उद्योग–धंधे में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक होगी तो प्रबंधक को वहाँ एक शिशु–गृह की व्यवस्था करनी होगी। ताकि काम के घंटों के दौरान महिलाएँ अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़ सकें।
19. आपराधिक कानून अधिनियम, 1961: इस अधिनियम के तहत महिलाओं ऐसे अधिकार एवं विशेष रियायतें दी गई हैं कि महिला अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण से बचाने और उनके हितों के लिए और भी कानून हैं जो इस प्रकार हैं– समान परिश्रमिक अधिनियम–1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, अभद्र निरूपण पिशेष अधिनियम– 1986, ठेकेदारी श्रम नियम एवं उन्मूलन अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम– 1990, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम–1985 आदि।
20. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 : घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा भारतीय संविधान में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरूषों के बराबर का दर्जा प्राप्त है लेकिन वास्तविकता आज भी देखी जा सकती है कि विवाह, तलाक, काम, सम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं जहाँ बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक न किया गया हो। भारतीय संविधान, राज्य व केन्द्र सराकर, पंचायती राज व्यवस्था आदि के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले अपराध व अत्याचार के निदान के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा हैं।
21. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 : इस अधिनियम में विशाखा केस में दिये गये लगभग सभी दिशा निर्देशों शामिल किया गया है।

निष्कर्ष

भारत में, महिला हिंसा के भयानक स्वरूप के विरूद्ध संघर्ष के लिए और जन जागृति पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में मानव अधिकार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हैं जिसके लिए दीर्घकालीन नीति तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठन से सहयोग की जरूरत हैं। समाचार पत्र समूह, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह कर सकते हैं हम सभी को गांधी जी के इस विचार को याद रखने की आवश्यकता हैं कि ''स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो'' और साथ ही महिलाओं को अपने जीवन का आधा अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए। सैद्वान्तिक रूप से महिलाओं के अधिकार में कहीं भी कमी नहीं हैं लेकिन व्यवहारिकता में कोसों दूर देखा जा रहा हैं। समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए कतिपय अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास समाज में असंभव है, इन्हीं को मानव अधिकार कहा जाता हैं जो कि अन्य असंक्रमय होते हैं। अतः व्यक्ति और मानवाधिकार को अंर्तराष्ट्रीय समुदाय का जो नियम बनता है, वह अंर्तराष्ट्रीय विधि होती है। अंर्तराष्ट्रीय समुदाय में राज्य के साथ साथ व्यक्ति भी अंर्तराष्ट्रीय विधि का विषय हो गया हैं। जहाँ अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना, वह आज के युग में भी लागू हैं परन्तु अब कार्यवाही द्वारा मानव अधिकारों को अतिक्रमण नहीं किया जा सकता हैं, क्योंकि वे राज्य कार्यवाही पर निर्बधन आरोपित करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *एरलिन, स्टेन, सेक्शुअलिटी एड जेंडर, ऑक्सफॉर्ड : ब्लेकवेल, 2002, पृ.55*
2. *सुन्दरिया, राजेन्द्र प्रसाद, महिलाऐं एवं घरेलू हिंसा, सागर पब्लिशर्स जयपुर, 2013 ,पृ.112*
3. *मेनन, निवेदिता, जेंडर एण्ड पॉलिटिक्स, दिल्ली : ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999, पृ.133*
4. *वघेरा, टी.एच., पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, पृ.97*
5. *हरमन, एन.सी. एबीगैल स्टीवाट, थिपराइजिंग फेमिनिज्म बेसिल ब्लैकवेल, 1994, पृ.79*
6. *शाह, धनश्याम, 'सोषल बैकवर्डनेस एण्ड द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेषन्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 1991, पृ.129*
7. *यंग, आयरिष मेरियन, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990, पृ.107*

8. *शर्मा, अर्चना, महिला एवं मानवाधिकार, रितु पब्लिकेषन्स, जयपुर, 2015, पृ.161*
9. *शर्मा, रमा व मिश्रा, एम. के. : भारतीय समाज में नारी– अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010, पृ.111*
10. *डॉ. छिल्लर, मंजूलता, : भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम– अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010, पृ.146*
11. *डॉ. शर्मा, प्रज्ञा, : भारतीय समाज में नारी – पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर– 2001, पृ.67*
12. *शर्मा, रमा व मिश्रा, एम. के. : महिला विकास– अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010, पृ.173*
13. *डॉ. यादव, विरेन्द्र सिंह : नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण – अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार भाग 1, 2, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली – 2010, पृ.127*